न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– एल आर ए / 267 / 2012

उनवान

1. नानू पिता हासू जाट निवासी भावलास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. मूला पिता खेमापुरी निवासी भांवलास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा डिलिट दिनांक 5 / 2 / 2014
3. मांगू पिता प्रताप जाट निवासी भांवलास तहसील माण्डल डिलिट दिनांक 22.3.2017
4. देबी पिता छोटू जाट निवासी भांवलास तहसील माण्डल डिलिट दिनांक 5.2.2014
5. श्याम पिता लादू सेन निवासी भांवलास तहसील माण्डल डिलिट दिनांक 5.2.2014
6. गोर्धन पिता माधु गिरी निवासी भांवलास तहसील माण्डल डिलिट दिनांक 5.2.2014
7. हीरा पिता प्रताप जाट निवासी भांवलास तहसील माण्डल डिलिट दिनांक 5.2.2014
8. नानू राम पिता लक्ष्मण जाट निवासी भॉवलास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
9. नारायण पिता हांसू जाट निवासी भॉवलास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. रंगलाल पिता बख्तावर जाट निवासी भांवलास तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल जिला भीलवाडा

———रेस्पोडेण्ट्स

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील विरूद्व आदेश जिला कलक्टर, भीलवाडा
के प्रकरण संख्या 04/2012 निर्णय दिनांक 14.6.2012

अभिभाषक : 1. श्री बाबू लाल आचार्य अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री श्री राकेश सुराणा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1

आदेश

दिनांक 16.3.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 को ग्राम भांवलास तहसील माण्डल के आराजी नम्बर 925 रकबा 5 बिस्वा भूमि दिनांक 12.10.2011 को अवैध एवं विधिविरूद्व तरीके से आवंटित की गई। विपक्षी संख्या 1 सद्भाविक काश्तकार नहीं होने से आवंटन की पात्रता नहीं रखता है। विपक्षी नम्बर एक को उक्त भूमि छोटी पट्टी के रूप में आवंटित की गई है। किन्तु आवंटित भूमि से जुडी हुई विपक्षी संख्या 1 की कोई भूमि स्थित नहीं है। उसे उक्त छोटी पट्टी की भूमि को कानूनन आवंटित नहीं की जा सकती है। विपक्षी संख्या 1 ने भूमि आवंटन हेतु जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया उसमें उसके पास उपलब्ध भूमि का सही विवरण नहीं देकर महत्वपूर्ण तथ्य छिपाकर धोखे में रखकर , मिथ्या दुर्व्यपदेशन किया है। आवंटी/विपक्षी ने आवेदन में यह भी कथन किया कि उसके पास स्वयं की एवं नोशनल शेयर से 15 बीघा से अधिक भूमि है । इसलिए विपक्षी संख्या 1 आवंटन की पात्रता नहीं रखता है। आवंटित भूमि राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि है। आवंटित भूमि के पूर्व दिशा में पटवार भवन बना हुआ है। वर्णित भूमि के आस–पास राजकीय परिसर विद्यालय आदि बने हुए है। उक्त राजकीय भवनों के विस्तार अथवा अन्य राजकीय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उपयोग हेतु ग्राम पंचायत भावलास में पूर्व कोरम में दिनांक 28.2.2011 को प्रस्ताव संख्या 2 के क्रम संख्या 7 में उक्त आराजी को ग्राम भावलास की आबादी भूमि से लगने के कारण व राजकीय भवनों से जुडी होने के कारण राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित कर रखा है। आवेदन में प्रार्थीगण ने यह भी कथन किया कि उक्त भूमि ग्राम भांवलास में ग्राम सेवा सहकारी समिति का भवन बनाने के लिए आवंटन की कार्यवाही कर मिसल कायम कर रखी है। छोटी पट्टी अथवा खण्ड जो एक से अधिक खातेदार आसामियों के खेतो के साथ लगी हुई हो तो ऐसी पट्टीयॉ या खण्ड आवंअन के लिए नीलामी की कार्यवाही की जायेगी। किन्तु आवंटन कमेटी ने कोई नीलामी प्रक्रिया नहीं अपनाई है। भूमि आवंअन के पहले उद्घोषित नहीं की थी। विपक्षी संख्या 1 का आवंटनसुदा भूमि पर कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा है। आवंटन सुदा भूमि ग्राम पंचायत भावलास की आबादी से सटी हुई है। जिसकी डी एल सी दर 65000/–रूपये प्रति बीघा होने का उल्लेख पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में किया है। आवंटी ने आवंटन हेतु आवेदन दिनांक 11.10.2011 को प्रस्तुत किया । हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 11.12.2011 अंकित है। जबकि आवंटन हल्का पटवारी की रिपोर्ट से पहले ही दिनांक 12.10.2011 को किया जा चुका जो संदेहास्पद है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी संख्या 1 को किया गया आवंटन अपास्त कराया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया आवंटन निरस्त किया ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/आवंटी सद्भाविक काश्तकार नही होने से आवंटन की पात्रता नहीं रखता है। प्रत्यर्थी का मुख्य व्यवसाय आईस्क्रीम का है तथा वह अधिकतर समय बाहर रहता है। फिर भी प्रत्यर्थी संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि काक आवंटन विधिविरूद्ध तरीके से किया गया है। उक्त आवंटन प्रत्यर्थी संख्या 1 को छोटी पट्टी के रूप में किया गया है जबकि आवंटी/प्रत्यर्थी संख्या 1 की खातेदारी की कोई भूमि वादग्रस्त आवंटित भूमि से सटती हुई नहीं है। ऐसी स्थिति में आवंटी को वादग्रस्त भूमि का छोटी पट्टी के रूप में आवंटन नहीं किया जा सकता है।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या एक ने तथ्यों को छिपाकर , गलत तथ्य प्रस्तुत कर धोखे में रखकर मिथ्या दुर्व्यपदेशन किया है। आवंटी/प्रत्यर्थी संख्या 1 ने आवंटन प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 को रिक्त छोड दिया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास स्वयं की एवं नोशनल शेयर से 15 बीघा से अधिक भूमि है। जिससे प्रत्यर्थी संख्या 1 आवंटन के लिए योग्य नहीं था। वादग्रस्त आवंटित भूमि आबादी भूमि से सटी हुई होकर राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित की गई है एवं वादग्रस्त भूमि से लगता हुआ पटवार भवन, एवं राजकीय विद्यालय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

परिसर बना हुआ है तथा ग्राम पंचायत की कोरम में वादग्रस्त भूमिं राजकीय भवनों के विस्तार हेतु भूमि को आरक्षित किया गया है। पटवारी हल्का ने प्रत्यर्थी संख्या 1 से मिलीभगती कर इस तथ्य को पटवारी की रिपोर्ट में अंकित नहीं किया है। उक्त भूमि पर ग्राम सेवा सहकारी समिति का भवन बनाने के लिए ग्राम पंचायत ने आवंटन की कार्यवाही कर रखी है व ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर रखा है। पटवारी हल्का ने वादग्रस्त भूमि से सडक की दूरी 200 मीटर दूरी पर अंकित किया है वह गलत अंकित किया है जबकि वास्तव में 50–60 मीटर की दूरी पर सडक स्थित है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि यदि प्रत्यर्थी संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि का आवंटन छोटी पट्टी के रूप में किया गया है तो ऐसी स्थिति में छोटी पट्टी एक से अधिक खातेदारों कीभूमि सटी हुई होने की स्थिति में नीलामी प्रकिया द्वारा भूमि का आवंटन किया जाना चाहिये था। पटवारी हल्का ने आबादी की भूमि से सटी हुई भूमि की डी एल सी दर 65000/–रूपये अंकित की है। राजकीय उपयोग हेतु आरक्षित होने एवं आबादी से सटी होने से वादग्रस्त भूमि का छोटी पट्टी मानकर आवंटन नहीं किया जा सकता था। पटवारी हल्का ने जो रिपोर्ट अंकित की है वह आवंटन के पश्चात अंकित की है। आवंटित भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 1 का कभी कोई कब्जाकाश्त नहीं रहा है। उक्त सारे तथ्य अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित किये थे उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो विधिविरूद्ध है इसलिए अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

7. अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या एक का निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने कोई तथ्य नहीं छिपाया है। आवंटित भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 1 का ही कब्जाकाश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि से सटी हुई प्रत्यर्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि है। इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि का आवंटन छोटी पट्टी के रूप में किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 सद्भाविक काश्तकार है जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने किसी प्रकार का तथ्य नहीं छिपाया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास नोशनल शेयर 5 बीघा के करीब बनता है । पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास 15 बीघा भूमि सिंचित नहीं है। वादग्रस्त भूमि आवंटन से पूर्व राजकीय भवनों हेतु आरक्षित नहीं की गई थी। आवंटन कमेटी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि का आवंटन किये जाने से पूर्व ग्राम पंचायत ने अनापत्ति प्रमाण पत्र उपखण्ड अध्किारी माण्डल को प्रेषित किया था। आवंटित भूमि से राजकीय भवन, राजकीय विद्यालय 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। वादग्रस्त भूमि को आवंटन से पूर्व उद्घोषित किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 को भूमिहीन काश्तकार होने की स्थिति में मात्र 5 बिस्वा भूमि का आवंटन किया है जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 1 का लगातार कब्जाकाश्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

8. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रत्यर्थी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

संख्या 1 को ग्राम भावलास की आराजी नम्बर 925 में रकबा 5 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया था। अपीलार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में किस प्रकार से हित निहित है यह अपीलार्थीगण द्वारा साबित नहीं कराया गया है। अपीलार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि को राजकीय भवनों हेतु आरक्षित किया गया है परन्तु अपीलार्थीगण ने इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य, अथवा राजकीय भवनों हेतु सेट–ए–'पार्ट किये जाने का कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया है। इसके विपरीत राजस्व अभिलेख, जमाबंदी संवत 2064 से 2066 में भी वादग्रस्त भूमि की किस्म बिलानाम काबिल काश्त दर्ज किया हुआ है। जहॉ तक छोटी पट्टी के रूप में वादग्रस्त भूमि का आवंटन प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में किये जाने का प्रश्न है । वादग्रस्त आवंटित भूमि से सटती हुई आराजी नम्बर 928 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है जो कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के खातेदारी अधिकार की भूमि है। अन्य सटे हुए खातेदारान द्वारा भी भूमि आवंटन प्रत्यर्थी को करने में दिनांक 12.10.2011 को अनापत्ति पेश की हुई है। अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण का यह भी कथन रहा है कि प्रत्यर्थी संख्या एक सद्भाविक काश्तकार नहीं होकर उसके पास पर्याप्त भूमि है पटवारी पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार आवंटन के वक्त नोशनल शेयर से 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि सिंचित एवं 2 बीघा भूमि असिंचित उपलब्ध थी जिसे दुगुना करने पर भी 10 बीघा 12 बिस्वा भूमि होना प्रमाणित होती है। 10 एकड भूमि रखने वाले काश्तकार को भूमिहीन की श्रेणी में माना गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण का यह कथन कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास आवंटन के समय पात्रता से अधिक भूमि उपलब्ध थी। सत्य प्रमाणित नहीं होता है। जहॉ तक कब्जे का प्रश्न है अपीलार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

9. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.6.2012 को यथावत रखा जाता है।

10. निर्णय आज दिनांक 16.3.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

16/3/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा